

# ओलाद की इस्लाह व तरबियत



खिताब  
जस्टिस मौलाना मुफ्ती  
मुहम्मद तकी साहिब उस्मानी

# औलाद की इस्लाह व तरबियत

खिताब

जस्टिस मौलाना मुफ्ती  
मुहम्मद तकी साहिब उस्मानी

अनुवादक  
मु० इमरान कासमी एम०ए० (अलीग)

प्रकाशक

फरीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6  
फोन आफिस 3289786, 3289159 आवास 3262486

# सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं



नाम किताब	औलाद की इस्लाह व तरबियत
खिताब	मौलाना मु० तकी उस्मानी
अनुवादक	मु० इमरान कासमी
संयोजक	मु० नासिर खान
तायदाद	1100
प्रकाशन वर्ष	जुलाई 2001
कम्पोजिंग	इमरान कम्प्यूटर्स
	मुज़फ्फर नगर (0131-442408)

>>>>>>>>>

## प्रकाशक

फरीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6  
फोन आफिस 3289786, 3289159 आवास 3262486

## फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

क्र.सं.	क्या?	कहां?
1.	खिताब का प्यारा उन्चान	6
2.	लफ़ज़ “बेटा” एक शफ़्क़त भरा खिताब	7
3.	आयत का तर्जुमा	8
4.	जाती अमल नजात के लिये काफ़ी नहीं अगर औलाद न माने तो!	9
5.	दुनियावी आग से किस तरह बचाते हो?	10
7.	आज दीन के अलावा हर चीज़ की फ़िक्र है	13
8.	थोड़ा सा बेदीन हो गया है	13
9.	“जान” तो निकल गयी है	14
10.	नई नस्ल की हालत	15
11.	आज औलाद मां बाप के सर पर सवार हैं	16
12.	बाप “नर्सिंग होम” में	17
13.	जैसा करोगे वैसा भरोगे	18
14.	हज़राते अंबिया और औलाद की फ़िक्र	19
15.	कियामत के दिन मातहतों के बारे में सवाल होगा	20
16.	ये गुनाह हकीकत में आग हैं	21
17.	हराम के एक लुक़मे का नतीजा	22
18.	अन्धेरे के आदी हो गये हैं	23
19.	अल्लाह वालों को गुनाह नज़र आते हैं	24
20.	यह दुनिया गुनाहों की आग से भरी हुई है	25

क्र.सं.	क्या?	कहां?
21.	पहले खुद नमाज़ की पाबन्दी करो	26
22.	बच्चों के साथ झूठ मत बोलो	26
23.	बच्चों को तरबियत देने का अन्दाज़	27
24.	बच्चों से मुहब्बत की हद	29
25.	हज़रत शैखुल हदीस रहो का एक वाक़िआ	30
26.	खाना खाने का एक अदब	31
27.	ये इस्लामी आदाब हैं	32
28.	सात साल से पहले तालीम	34
29.	घर की तालीम दे दो	35
30.	कारी फ़तह मुहम्मद सहिब रहमतुल्लाहि अलैहि बच्चों को मारने की हद	36
31.	बच्चों को मारने का तरीक़ा	37
32.	बच्चों को तरबियत देने का तरीक़ा	38
33.	तुम में से हर शख्स निगरां है	38
34.	अपने मातहतों की फ़िक्र करें	40
35.	सिर्फ़ दस मिनट निकाल लें	41
36.		42

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## औलाद की इस्लाह व तरबियत

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ إِلَّا هُدَى لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا  
كَثِيرًا. أَمَا بَعْدُ:

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ.

(سورة التحرير: ٦)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.

अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अलैहि ने आगे इस किताब “रियाजुस्सालिहीन” में एक नया बाब कायम फ़रमाया है, जिसके जरिये यह बयान करना मक्सूद है कि इन्सान के ज़िम्मे सिफ़ खुद अपनी इस्लाह ही वाजिब नहीं है, बल्कि अपने घर वालों, अपने बीवी बच्चों और अपने मातहत जितने भी अफ़राद हैं, उनकी इस्लाह करना, उनको दीन की तरफ़ लाने की

कोशिश करना, उनको फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी की ताकीद करना, और गुनाहों से बचने की ताकीद करना भी इन्सान के ज़िम्मे फर्ज है, इस मक्सद के तहत यह बाब क़ायम फ़रमाया है, और इसमें कुछ आयाते कुरआनी और कुछ अहादीसे नबवी नक़ल की हैं।

### खिताब का प्यारा उन्वान

यह आयत जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की, यह हकीकत में इस बाब का बुनियादी उन्वान है, इस आयत में अल्लाह तआला ने तमाम मुसलमानों को खिताब करते हुए फ़रमाया:

بِأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا

यानी ऐ ईमान वालो! आपने देखा होगा कि कुरआने करीम में अल्लाह तआला ने मुसलमानों से खिताब करने के लिये जगह जगह “या अय्युहल—लज़ी—न आमनू” के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये हैं। हमारे हज़रत डाक्टर अब्दुल हई साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाया करते थे कि यह “या अय्युहल—लज़ी—न आमनू” का उन्वान जो अल्लाह तआला मुसलमानों से खिताब करते हुए इस्तेमाल फ़रमाते हैं, यह बड़ा प्यारा उन्वान है, यानी ऐ ईमान वालो, ऐ वे लोगों जो ईमान लाये। इस खिताब में बड़ा प्यार है, इसलिये कि खिताब का एक तरीक़ा यह है कि मुख़ातब का नाम लेकर खिताब किया जाये, ऐ फ़लां! और खिताब का दूसरा तरीक़ा यह होता है कि मुख़ातब को उस रिश्ते का हवाला देकर खिताब किया जाये जो खिताब करने वाले का उससे क़ायम है, जैसे एक बाप

अपने बेटे को बुलाये तो इसका एक तरीका तो यह है कि उस बेटे का नाम लेकर उसको पुकारे कि ऐ फ़लां! और दूसरा तरीका यह है कि उसको “बेटा” कह कर पुकारे कि ऐ बेटे! ज़ाहिर है कि बेटा कह कर पुकारने में जो प्यार, जो शफ़्क़त और जो मुहब्बत है, और सुनने के लिये इसमें जो लुत्फ़ है, वह प्यार और लुत्फ़ नाम लेकर पुकारने में नहीं है।

### **लफ़ज़ “बेटा” एक शफ़्क़त भरा खिताब**

शैखुल इस्लाम हज़रत मौलाना शाब्बीर अहमद साहिब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि इतने बड़े आलिम और फ़कीह थे, हमने तो उनको उस वक्त देखा था जब पाकिस्तान में तो क्या, सारी दुनिया में इल्म व फ़ज़्ल के एतिबार से उनका कोई सानी नहीं था। सारी दुनिया में उनके इल्म व फ़ज़्ल का लोहा माना जाता था, कोई उनको “शैखुल इस्लाम” कह कर मुख्यातब करता, कोई उनको “अल्लामा” कह कर मुख्यातब करता, बड़े ताज़ीमी अल्काब उनके लिये इस्तेमाल किये जाते थे, कभी कभी वह हमारे घर तशरीफ़ लाते थे, उस वक्त हमारी दादी ज़िन्दा थीं, हमारी दादी साहिबा रिश्ते में हज़रत अल्लामा की मुमानी लगती थीं, इसलिये वह उनको “बेटा” कह कर पुकारती थीं, और उनको दुआ देती थीं कि “बेटा! जीते रहो” जब हम उनके मुंह से ये अल्फ़ाज़ इतने बड़े अल्लामा के लिये सुनते, जिन्हें दुनिया “शैखुल इस्लाम” के लक़ब से पुकार रही थी तो उस वक्त हमें बड़ा अचंभा महसूस होता था, लेकिन अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि मैं हज़रत मुफ़्ती साहिब ( मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाहि

अलैहि) के घर में दो मक्सद से आता हूं।

एक यह कि हज़रत मुफ्ती साहिब से मुलाकात, दूसरे यह कि इस वक्त रुए ज़मीन पर मुझे “बेटा” कहने वाला सिवाये इन खातून के कोई और नहीं है, सिफ़ यह खातून मुझे बेटा कह कर पुकारती हैं, इसलिये मैं बेटा का लफ़्ज़ सुनने के लिये आता हूं उसके सुनने में जो लुत्फ़ और प्यार महसूस होता है वह मुझे कोई और लक़्ब सुनने में महसूस नहीं होता।

हकीकत यह है कि इसकी कद्र उस शख्स को होती है जो इसके कहने वाले के ज़ज्बे से वाकिफ़ हो, वह इसको जानता है कि मुझे यह जो “बेटा” कह कर पुकारा जा रहा है, यह कितनी बड़ी नेमत है, एक वक्त आता है जब इन्सान यह लफ़्ज़ सुनने को तरस जाता है।

चुनांचे हज़रत डाक्टर अब्दुल हई साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते थे कि अल्लाह तआला “या अय्युहल—लज़ी—न आमनू” का खिताब करके उस रिश्ते का हवाला देते हैं जो हर ईमान वाले को अल्लाह तआला के साथ है, यह ऐसा ही है जैसे कोई बाप अपने बेटे को “बेटा” कह कर पुकारे, और इस लफ़्ज़ को इस्तेमाल करने का मक्सद यह होता है कि आगे जो बात बाप कह रहा है वह शफ़्क़त, मुहब्बत और खैर—ख्वाही से भरी हुई है। इसी तरह अल्लाह तआला भी कुरआने करीम में जगह जगह इन अलफ़ाज़ से मुसलमानों को खिताब फ़रमा रहे हैं। उन्हीं जगहों में से एक जगह यह है। चुनांचे फ़रमाया:

### आयत का तर्जुमा

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَآهْلِيْكُمْ تَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَغْصُونَ اللَّهُ مَنْ أَمْرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۝

ऐ ईमान वालो! अपने आपको और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ, वह आग कैसी है? आगे उसकी सिफ़त बयान फ़रमाई कि उस आग का ईधन लकड़ियां और कोयले नहीं है, बल्कि उस आग का ईधन इन्सान और पत्थर होंगे, और उस आग के ऊपर अल्लाह तआला की तरफ से ऐसे फ़रिश्ते मुकर्रर हैं जो बड़े ग़लीज़ और कड़वे मिज़ाज वाले हैं, सख्त मिज़ाज हैं और अल्लाह तआला उनको जिस बात का हुक्म देते हैं, वे उस हुक्म की कभी ना—फ़रमानी नहीं करते, और वही काम करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है।

### जाती अ़मल नजात के लिये काफ़ी नहीं

इस आयत से अल्लाह तआला ने यह फ़रमा दिया कि बाँत सिफ़ यहां तक ख़त्म नहीं होती कि बस अपने आपको आग से बचा कर बैठ जाओ, और इससे मुत्मइन हो जाओ कि बस मेरा काम हो गया, बल्कि अपने घर वालों और बाल बच्चों को भी आग से बचाना ज़रूरी है। आज यह मन्ज़र कस्रत से नज़र आता है कि आदमी अपनी ज़ात में बड़ा दीनदार है, नमाज़ों का पाबन्द है, पहली सफ़ में हाजिर हो रहा है, रोज़े रख रहा है, ज़कात अदा कर रहा है, अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च कर रहा है, और जितने अवामिर (अहकाम)व नवाही (मना की गई चीज़ें) हैं, उन पर अ़मल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके घर को देखो, उसकी औलाद को देखो, बीवी बच्चों को देखो तो उनमें और उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, यह

कहीं जा रहा है, वे कहीं जा रहे हैं, इसका रुख़ मशिरक़ की तरफ़ है, उनका रुख़ मगिरब की तरफ़ है, उनमें न नमाज़ की फ़िक्र है, न फ़राइज़े दीनिया को बजा लाने का एह्सास है, और न गुनाहों को गुनाह समझने की फ़िक्र है, बस गुनाहों के सैलाब में बीवी बच्चे बह रहे हैं, और यह साहिब इस पर मुत्मइन है कि मैं पहली सफ़ में हाजिर होता हूँ और जमाअत के साथ नमाज़ अदा करता हूँ। ख़ूब समझ लें, जब तक अपने घर वालों को आग से बचाने की फ़िक्र न हो, खुद इन्सान की अपनी नजात नहीं हो सकती, इन्सान यह कह कर जान नहीं बचा सकता कि मैं तो खुद अपने अमल का मालिक था, अगर औलाद दूसरी तरफ़ जा रही थीं तो मैं क्या करता, इसलिये कि उनको बचाना भी तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल था, जब तुमने इसमें कोताही की तो अब आखिरत में तुमसे सवाल होगा।

### अगर औलाद न माने तो!

इस आयत में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि अपने आपको और अपने घर वालों को आग से बचाओ, हकीकत में इसमें एक शुबह के जवाब की तरफ़ इशारा फ़रमाया जो शुबह आम तौर पर हमारे दिलों में पैदा होता है, वह शुबह यह है कि आज जब लोगों से यह कहा जाता है कि अपनी औलाद को भी दीन की तालीम दो, कुछ दीन की बातें उनको सिखाओ, उनको दीन की तरफ़ लाओ, गुनाहों से बचाने की फ़िक्र करो, तो इसके जवाब में आम तौर पर कस्रत से लोग यह कहते हैं कि हमने औलाद को दीन की तरफ़ लाने की बड़ी कोशिश की, मगर क्या करें कि माहौल और मुआशारा इतना ख़राब है कि

बीवी बच्चों को बहुत समझाया, मगर वे मानते नहीं हैं और जमाने की खराबी से मुत्तारिस्सर होकर उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया है, और उस रास्ते पर जा रहे हैं, और रास्ता बदलने के लिये तैयार नहीं हैं। अब उनका अमल उनके साथ है हमारा अमल हमारे साथ है, अब हम क्या करें। और दलील यह पेश करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो आखिर काफिर रहा, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसको तूफान से न बचा सके, इसी तरह हमने बहुत कोशिश कर ली है, वे नहीं मानते तो हम क्या करें?

### दुनियावी आग से किस तरह बचाते हो?

चुनांचे कुरआने करीम ने इस आयत में “आग” का लफज़ इस्तेमाल करके इस इश्काल और शुब्दों का जवाब दिया है। वह यह है कि यह बात वैसे उसूली तौर पर तो ठीक है कि अगर मां बाप ने औलाद को बेदीनी से बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है तो इन्हा अल्लाह मां बाप फिर जिज्मेदारी से बरी हो जायेंगे, और औलाद के किये का बबाल औलाद पर पड़े गा। लेकिन देखना यह है कि मां बाप ने औलाद को बेदीनी से बचाने की कोशिश किस हद तक की है? और किस दर्जे तक की है? कुरआने करीम ने “आग” का लफज़ इस्तेमाल करके इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि मां बाप को अपनी औलाद को गुनाहों से इस तरह बचाना चाहिये जिस तरह उनको आग से बचाते हैं।

फर्ज़ करें कि एक बहुत बड़ी खतरनाक आग सुलग रही है, जिस आग के बारे में यकीन है कि अगर कोई शख्स उस

आग के अन्दर दाखिल किया गया तो ज़िन्दा नहीं बचेगा, अब आपका नादान बच्चा उस आग को खुशमन्ज़र और खूबसूरत समझ कर उसकी तरफ बढ़ रहा है, अब बताओ तुम उस वक्त क्या करोगे? क्या तुम इस पर बस करोगे कि दूर से बैठ कर बच्चे को नसीहत करना शुरू कर दो कि बेटा! उस आग में मत जाना, यह बड़ी खतरनाक चीज़ होती है अगर जाओगे तो तुम जल जाओगे, और मर जाओगे? क्या कोई मां बाप सिर्फ़ ज़बानी नसीहत पर बस करेगा? और इस नसीहत के बावजूद अगर बच्चा उस आग में चला जाये तो क्या वे मां बाप यह कह कर अपनी ज़िज़मेदारी से बरी हो जायेंगे कि हमने तो इसको समझा दिया था। अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था। इसने नहीं माना और खुद ही अपनी मर्जी से आग में कूद गया तो मैं क्या करूँ? दुनिया में कोई मां बाप ऐसा नहीं करेंगे, अगर वे उस बच्चे के हक़ीकी मां बाप हैं तो उस बच्चे को आग की तरफ़ बढ़ता हुआ देख कर उनकी नींद हराम हो जायेगी, उनकी ज़िन्दगी हराम हो जायेगी, और जब तक उस बच्चे को गोद में उठा कर उस आग से दूर नहीं ले जायेंगे, उस वक्त तक उनको चैन नहीं आयेगा।

अल्लाह तआला यह फ़रमा रहे हैं कि जब तुम अपने बच्चे को दुनिया की मामूली सी आग से बचाने के लिये सिर्फ़ ज़बानी जमा ख़र्च पर बस नहीं करते तो जहन्नम की वह आग जिसकी हद व निहायत नहीं, और जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उस आग से बच्चे को बचाने के लिये ज़बानी जमा ख़र्च को काफ़ी क्यों समझते हो? इसलिये यह समझना कि हमने उन्हें समझा कर अपना फ़रीज़ा अदा कर लिया, यह बात

आसानी से कहने की नहीं है।

## ‘आज दीन के अलावा हर चीज़ की फ़िक्र है’

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की जो मिसाल दी जाती है कि उनका बेटा काफ़िर रहा, वह उसको आग से नहीं बचा सके, यह बात दुरुस्त नहीं, इसलिये कि यह भी तो देखो कि उन्होंने उसको सही रास्ते पर लाने की नौ सौ साल तक लगातार कोशिश की, उसके बावजूद जब वह रास्त पर नहीं आया तो अब उनके ऊपर कोई मुतालबा और मुवाख़ज़ा (पकड़) नहीं। लेकिन हमारा हाल, यह है कि एक दो मर्तबा कहा और फिर फ़ारिग़ होकर बैठ गये कि हमने तो कह दिया, हालांकि होना यह चाहिये कि उनको गुनाहों से उसी तरह बचाओ जिस तरह उनको हकीकी आग से बचाते हो, अगर इस तरह नहीं बचा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि फ़रीज़ा अदा नहीं हो रहा है। आज तो यह नज़र आ रहा है कि औलाद के बारे में हर चीज़ की फ़िक्र है, जैसे यह तो फ़िक्र है कि बच्चे की तालीम अच्छी हो, उसका कैरियर अच्छा बने, यह फ़िक्र है कि मुआशरे में उसका मकाम अच्छा हो, यह फ़िक्र तो है कि उसके खाने पीने और पहनने का इन्तिज़ाम अच्छा हो जाये, लेकिन दीन की फ़िक्र नहीं।

## थोड़ा सा बेदीन हो गया है

हमारे एक जानने वाले थे जो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, दीनदार और तहज्जुद गुज़ार थे, उनके लड़के ने नई अंग्रेज़ी तालीम हासिल की, जिसके नतीजे में उसको कहीं अच्छी नौकरी मिल गयी, एक दिन वह बड़ी खुशी के साथ बताने लगे

कि माशा—अल्लाह हमारे बेटे ने इतना पढ़ लिया, अब उनको नौकरी मिल गयी और मुआशरे में उसको बड़ा मकाम हासिल हो गया, हाँ थोड़ा सा बेदीन तो हो गया, लेकिन मुआशरे में उसका कैरियर बड़ा शानदार बन गया है।

अब अन्दाज़ा लगाइये कि उन साहिब ने इस बात को इस तरह बयान किया कि “वह बच्चा ज़रा सा बेदीन हो गया तो हो गया, भगव उसका कैरियर बड़ा शानदार बन गया” मालूम हुआ कि बेदीन होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ज़रा सी गड़—बड़ी हो गयी है, हालांकि वह साहिब खुद बड़े दीनदार और तहज्जुद गुज़ार आदमी थे।

**“जान” तो निकल गयी है**

हमारे वालिद माजिद हज़रत मुफ्ती मुहम्मद शफी साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि एक वाकिआ सुनाया करते थे कि एक शख्स का इन्तिकाल हो गया, लेकिन लोग उसको जिन्दा समझ रहे थे, चुनांचे लोगों ने डाक्टर को बुलाया, ताकि मुआयना करे कि इसको क्या बीमारी है? यह कोई हरकत क्यों नहीं कर रहा है, चुनांचे डाक्टर साहिब ने मुआयना करने के बाद बताया कि यह बिल्कुल ठीक ठाक आदमी है, सर से लेकर पांव तक तमाम आज़ा (अंग) ठीक हैं, बस ज़रा सी जान निकल गयी है।

बिल्कुल इसी तरह उन साहिब ने अपने बेटे के बारे में कहा कि “माशा—अल्लाह उसका कैरियर तो बड़ा शानदार बन गया है, बस ज़रा सा बेदीन हो गया है” गोया कि “बेदीन” होना कोई ऐसी बात नहीं जिससे बड़ा नुकस पैदा होता हो।

## नई नस्ल की हालत

आज हमारा यह हाल है कि और हर चीज़ की फिक्र है मगर दीन की तरफ़ तवज्जोह नहीं, भाई! अगर यह दीन इतनी ही ना—काबिले तवज्जोह चीज़ थी तो फिर आपने नमाज़ पढ़ने की और तहज्जुद गुज़ारी की और मस्जिदों में जाने की तकलीफ़ क्यों फरमाई? आपने अपने बेटे की तरह कैरियर बना लिया होता, शुरू से इस बात की फिक्र नहीं कि बच्चे को दीन की तालीम सिखाई जाये, आज यह हाल है कि पैदा होते ही बच्चे को ऐसी नर्सरी में भेज दिया जाता है जहां उसको कुत्ता बिल्ली सिखाया जाता है, लेकिन अल्लाह का नमा नहीं सिखाया जाता, दीन की बातें नहीं सिखाई जातीं, इस वक्त तक वह नस्ल तैयार होकर हमारे सामने आ चुकी है, और उसने सत्ता की डोर संभाल ली है, जिन्दगी की बाग डोर उसके हाथों में आ गयी है, जिसने पैदा होते ही स्कूल कालेज़ की तरफ़ रुख़ किया, और उनके अन्दर नाज़रा कुरआन शरीफ़ पढ़ने की भी अहलियत मौजूद नहीं, नमाज़ पढ़ना नहीं आता, अगर इस वक्त पूरे मुआशरे (समाज) का जायज़ा लेकर देखा जाये तो शायद अक्सरियत ऐसे लोगों की मिले जो कुरआन शरीफ़ नाज़रा नहीं पढ़ सकते, जिन्हें नमाज़ सही तरीके से पढ़नी नहीं आती, वजह इसकी यह है कि बच्चे के पैदा होते ही मां बाप ने यह फिक्र तो की कि उसको कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल किया जाये लेकن दीन की तरफ़ ध्यान और फिक्र नहीं।

## आज औलाद मां बाप के सर पर सवार हैं

याद रखो! अल्लाह तबारक व तआला की एक सुन्नत है, जो हदीस शरीफ में बयान की गयी है कि जो शख्स किसी मख्लूक को राज़ी करने के लिये अल्लाह को नाराज़ करे तो अल्लाह तआला उसी मख्लूक को उस पर मुसल्लत फ़रमा देते हैं। जैसे एक शख्स ने एक मख्लूक को राज़ी करने के लिये गुनाह किया, और गुनाह करके अल्लाह तआला को नाराज़ किया, तो आखिर कार अल्लाह तआला उसी मख्लूक को उस पर मुसल्लत फ़रमा देते हैं, तजुर्बा करके देखो।

आज हमारी सूरते हाल यह है कि अपनी औलाद और बच्चों को राज़ी करने की खातिर यह सोचते हैं कि उनका कैरियर अच्छा हो जाये, उनकी आमदनी अच्छी हो जाये और मुआशरे में उनका एक मकाम बन जाये, इन तमाम कामों की वजह से उनको दीन न सिखाया, और दीन न सिखा कर अल्लाह तआला को नाराज़ किया, उसका नतीजा यह हुआ कि वही औलाद जिसको राज़ी करने की फ़िक्र थी वही औलाद मां बाप के सर पर मुसल्लत हो जाती है। आज आप खुद मुआशरे के अन्दर देख लें कि किस तरह औलाद अपने मां बाप की ना फ़रमानी कर रही है। और मां बाप के लिये अज़ाब बनी हुयी है, वजह इसकी यह है कि मां बाप ने उनको सिर्फ़ इसलिये बेदीनी के माहौल में भेज दिया ताकि उनको अच्छा खाना मयस्सर आ जाये, और अच्छी नौकरी मिल जाये, और उनको ऐसे बेदीनी के माहौल में आज़ाद छोड़ दिया जिसमें मां बाप की इज्ज़त और अज़्मत का कोई खाना नहीं है, जिसमें मां

बाप के हुक्म की इताअ़त का भी कोई ख़ाना नहीं है, वह अगर कल को अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात के मुताबिक़ फैसले करता है, तो अब मां बाप बैठे रो रहे हैं, कि हमने तो इस मक्सद के लिये तालीम दिलायी थी, मगर उसने यह कर लिया, अरे बात असल में यह है कि तुमने उसको ऐसे रास्ते पर चलाया, जिसके नतीजे में वह तुम्हारे सरों पर मुसल्लत हो, तुम उनको जिस किस्म की तालीम दिलवा रहे हो, और जिस रास्ते पर लेजा रहे हो, उस तालीम की तहजीब तो यह है कि जब मां बाप बूढ़े हो जायें तो अब वे घर में रखने के लायक नहीं, उनको नर्सिंगहोम (Nursing Home) में दाखिल कर दिया जाता है और फिर साहिबज़ादे पलट कर भी नहीं देखते कि वहां मां बाप किस हाल में हैं, और किस चीज़ की उनको ज़रूरत है।

### बाप “नर्सिंग होम” में

पश्चिमी देशों के बारे में तो ऐसे वाकिआत बहुत सुनते थे कि बूढ़ा बाप “नर्सिंग होम” में पड़ा है, वहां उस बाप का इन्तिकाल हो गया, वहां के मैनेजर ने साहिबज़ादे को फ़ोन किया कि जनाब! आपके वालिद साहिब का इन्तिकाल हो गया है, तो जवाब में साहिबज़ादे ने कहा कि मुझे बड़ा अफ़्सोस है कि उनका इन्तिकाल हो गया। अब आप मेहरबानी फ़रमा कर उनकी तज़हीज़ व तकफ़ीन (अंतिम संसकार) का इन्तिज़ाम कर दें। और मेहरबानी फ़रमा कर बिल मुझे भेज दीजिये मैं बिल की अदायगी कर दूँगा। वहां के बारे में तो यह बात सुनी थी लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे एक साहिब ने बताया कि

यहां कराची में भी एक “नर्सिंग होम” कायम हो गया है, जहां बूढ़ों की रिहाइश का इन्तिज़ाम है, उसमें भी यही वाकिअ़ा पेश आया कि एक साहिब का वहां इन्तिकाल हो गया। उसके बेटे को इत्तिला दी गयी, बेटे साहिब ने पहले तो आने का वादा कर लिया, लेकिन बाद में माजिरत करते हुए कहा कि मुझे फ़लां मीटिंग में जाना है इसलिये आप ही उसके कफ़्न दफ़्न का बन्दोबस्त कर दें, मैं नहीं आ सकूंगा। यह वह औलाद है जिसको राज़ी करने की ख़ातिर तुमने खुदा को नाराज़ किया, इसलिये वह अब तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दी गयी। जैसाकि हदीस में साफ़ मौजूद है कि जिस मख्लूक को राज़ी करने के लिये खुदा को नाराज़ करोगे अल्लाह तआला उसी मख्लूक को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे।

### जैसा करोगे वैसा भरोगे

जब वह औलाद सर पर मुसल्लत हो गयी तो अब माँ बाप रो रहे हैं कि औलाद दूसरे रास्ते पर जा रही है, अरे जब तुमने शुरू ही से उसको ऐसे रास्ते पर डाला, जिसके ज़रिये उसका ज़ेहन बदल जाये, उसका ख्याल बदल जाये, उसकी सोच बदल जाये तो उसका अन्जाम यही होना था:

अन्दरूने क़अरे दरिया तख्ता बन्दम करदा ई  
बाज़ मी गोई कि दामन तर मकुन होशियार बाश

“पहले मेरे हाथ पांव बांध कर मुझे समुंदर के अन्दर डुबो दिया, उसके बाद कहते हो कि होशियार! दामन तर मत करना। भाईः अगर तुमने पहले उसे कुछ कुरआन शारीफ पढ़ाया होता, उसको कुछ हदीस नबवी सिखाई होती, वह

हदीस सिखाई होती जिसमें रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो तीन चीज़ें उसके लिये कार—आमद होती हैं, एक इल्म है जिसे वह छोड़ गया, जिस से लोग नफा उठा रहे हैं। कोई आदमी कोई किताब लिख गया और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, या कोई आदमी इस्मे दीन पढ़ाता था, अब उसके शागिर्द आगे इस्म पढ़ा रहे हैं, इससे उस मरने वाले शख्स को भी फायदा पहुंचता रहता है। या कोई सदका—ए—जारिया छोड़ गया, जैसे कोई मस्जिद बना दी, कोई मदरसा बना दिया, कोई शिफाखाना बना दिया, कोई कुआं बना दिया, और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। ऐसे अमल का सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। और तीसरी चीज़ नेक औलाद है, जो वह छोड़ गया, वह उसके हक़ में दुआयें करे, तो उसका अमल मरने के बाद भी जारी रहता है, क्योंकि मां बाप की तरबियत के नतीजे में औलाद जो कुछ कर रही है, वह सब मां बाप के नामा—ए—आमाल में लिखा जा रहा है। अगर यह हदीस पढ़ाई होती तो आज बाप का यह अन्जाम न होता। लेकिन चूंकि इस रास्ते पर चलाया ही नहीं, इसलिये इसका बुरा अन्जाम आंखों के सामने है।

### हज़राते अंबिया और औलाद की फ़िक्र

भाई! औलाद को दीन की तरफ़ लाने की फ़िक्र इतनी ही लाज़मी है जितनी अपनी इस्लाह की फ़िक्र लाज़िम है, औलाद को सिर्फ़ ज़बानी समझाना काफ़ी नहीं। जब तक उसकी फ़िक्र उसकी तड़प इस तरह न हो जिस तरह अगर धहकती हुयी

आग की तरफ बच्चा बढ़ रहा हो, और आप लपक कर जब तक उठा न लेंगे, उस वक्त तक आपको चैन नहीं आयेगा। इसी तरह की तड़प यहां भी होनी ज़रूरी है। पूरा कुरआने करीम इस हुक्म की ताकीद से भरा हुआ है, चुनांचे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाकिआत का ज़िक्र फ़रमाते हुये अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाते हैं कि:

وَكَانَ يَامُرُّ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالرُّكُوْةِ  
(سورة مریم)

“यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज़ और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि जब उनका इन्तिकाल होने लगा तो अपनी सारी औलाद और बेटों को जमा किया। कोई शख्स अपनी औलाद को इस फ़िक्र के लिये जमा करता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? किस तरह कमाओगे? लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को जमा कर रहे हैं और यह पूछ रहे हैं कि बताओ! मेरे मरने के बाद तुम किस की इबादत करोगे? उनको अगर फ़िक्र है तो इबादत की फ़िक्र है। बस! अपनी औलाद, अपने घर वालों के बारे में इस फ़िक्र को पैदा करने की ज़रूरत है।

(सूर: बक़र: ٩٣)

### कियामत के दिन मातहतों के बारे में सवाल होगा

बात सिर्फ़ अहल व अयाल (घर वालों और बाल बच्चों) की हद तक महदूद नहीं, बल्कि जितने मातहत हैं, जिन पर इन्सान अपना असर डाल सकता है। जैसे एक शख्स किसी जगह अफ़सर है और कुछ लोग उसके मातहत काम कर रहे हैं।

कियामत के दिन उस शख्स से सवाल होगा कि तुमने अपने मातहतों को दीन पर लाने की कोशिश की थी? एक उस्ताद है उसके मातहत बहुत से शागिर्द पढ़ते हैं, कियामत के दिन उस उस्ताद से सवाल होगा कि तुमने अपने शागिर्दों को सीधे रास्ते पर लाने के सिलसिले में क्या काम किया? एक उज्जर पर काम कराने वाला है उसके मातहत बहुत से मज़दूर मेहनत मज़दूरी करते हैं, कियामत के दिन उस उज्जर पर काम कराने वाले से सवाल होगा कि तुमने अपने मातहतों को दीन पर लाने के सिलसिले में क्या कोशिश की थी? जैसाकि हदीस शरीफ में है कि:

”كَلْمَ رَاعِ وَكَلْمَ مَسْئُولٌ عَنْ رِعِيَتِهِ“ (جامع الاصول)

”यानी तुम में से हर शख्स राझी और निगहबान है, और उससे उसकी रजिस्तान के बारे में सवाल होगा“

## ये गुनाह हकीकत में आग हैं

यह आयत जो मैंने शुरू में तिलावत की इस आयत के तहत मेरे वालिद माजिद हजरत मुफ्ती मुहम्मद शफी साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि इस आयत में अल्लाह तआला ने यह जो फरमाया कि ऐ ईमान वालो! अपने आपको और अपने घर वालों को आग से बचाओ, यह इस तरह कहा जा रहा है जैसे कि आग सामने नज़र आ रही है। हालांकि इस वक्त कोई आग भड़कती हुयी नज़र नहीं आ रही है, बात असल में यह है कि ये जितने गुनाह होते हुये नज़र आ रहे हैं ये सब हकीकत में आग हैं। चाहे देखने में ये गुनाह लज़ीज़ और अच्छे लगने वाले

मालूम हो रहे हों, लेकिन हकीकत में ये सब आग हैं। और यह दुनिया जो गुनाहों से भरी हुयी है, वह इन गुनाहों की वजह से जहन्नम बनी हुयी है। लेकिन हकीकत में गुनाहों से मानूस होकर हमारी हिस मिट गयी है, इसलिये गुनाहों की जुलमत (अंधेरा) और आग महसूस नहीं होती। वर्णा जिन लोगों को अल्लाह तआला सही हिस अ़ता फ़रमाते हैं और ईमान का नूर अ़ता फ़रमाते हैं उनको ये गुनाह हकीकत में आग की शक्ल में नज़र आते हैं या जुलमत (अंधेरा) की शक्ल में नज़र आते हैं।

## हराम के एक लुक्मे का नतीजा

दारुल उलूम देवबन्द के सद्गुरु दर्रिस, हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के उस्ताद हज़रत मौलाना मुहम्मद याकूब साहिब नानौतवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स की दावत पर उसके घर खाना खाने चला गया, अभी सिर्फ़ एक ही लुक्मा खाया था कि यह एहसास हो गया कि खाने में कुछ गड़बड़ है, शायद यह हलाल की आमदनी नहीं है, जब तक हकीक़ की तो मालूम हुआ कि हकीकत में हलाल आमदनी नहीं थी, लेकिन वह हराम आमदनी का लुक्मा ना-दानिस्ता तौर पर हलक़ के अन्दर चला गया। हज़रत मौलाना फ़रमाते थे कि मैंने उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार की लेकिन इसके बावजूद दो महीने तक उस हराम लुक्मे की जुलमत (अंधेरा) महसूस होती रही, और दो महीने तक बार बार यह ख्याल और वस्वसा आता रहा कि फ़लों गुनाह कर लो, और गुनाह के जज्बात दिल में पैदा होते रहे। अल्लाह तआला जिन लोगों के दिलों को पाक, रोशन और

साफ़ फरमाते हैं उन्हें इन गुनाहों की जुलमत का एहसास होता है। हम लोग चूंकि इन गुनाहों से मानूस हो गये हैं इसलिये हमें मालूम नहीं होता।

## अन्धेरे के आदी हो गये हैं

हम लोग यहां शहरों में बिजली के आदी हो गये हैं, हर वक्त शहर बिजली से जगमगा रहा है, अब अगर चन्द मिनट के लिए बिजली चली जाये तो तबीयत पर भारी गुज़रता है, इसलिये कि निगाहें बिजली की रोशनी और उसकी राहत की आदी हैं, जब वह राहत छिन जाती है तो सख्त तकलीफ़ होती है, और वह जुलमत बुरी लगती है, लेकिन बहुत से देहात ऐसे हैं कि वहां के लोगों ने बिजली की शक्ल तक नहीं देखी, वहां हमेशा अन्धेरा रहता है। कभी बिजली के कुम्कुमे वहां जलते ही नहीं हैं उनको कभी अन्धेरे की तकलीफ़ नहीं होती, इसलिये कि उन्होंने बिजली के कुम्कुमों की रोशनी देखी ही नहीं। लेकिन जिसने यह रोशनी देखी है, उससे जब यह रोशनी छिन जाती है, तो उसको तकलीफ़ होती है।

यही हमारी मिसाल है कि हम सुबह व शाम गुनाह करते रहते हैं और इन गुनाहों की जुलमत के आदी हो गये हैं, इसलिये जुलमत का एहसास नहीं होता, अल्लाह तआला हमें ईमान का नूर अंता फरमाये, तक्वे का नूर अंता फरमाये, तब हमें मालूम होगा कि इन गुनाहों के अन्दर कितनी जुलमत है, हज़रत वालिद साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि ये गुनाह हकीकत में आग ही हैं, इसी लिये कुरआने करीम ने फरमाया कि:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ كُلُّهُنَّ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۝  
 (سورة النساء: ۱۰)

“यानी जो लोग यतीमों का माल जुल्म करके खाते हैं, वे हकीकत में अपने पेटों में आग खा रहे हैं, इस आयत के तहत अक्सर मुफ़्सिसरीन ने यह फ़रमाया कि यह मजाज़ और इस्तिआरा है कि आग खा रहे हैं, यानी हराम खा रहे हैं। जिसका अन्जाम आखिर कार जहन्नम की आग की शक्ल में उनके सामने आयेगा, लेकिन कुछ मुफ़्सिसरीन ने बयान फ़रमाया कि यह मजाज़ और इस्तिआरा नहीं है बल्कि यह हकीकत है, यानी वे हराम का जो लुक्मा खा रहे हैं, वह वाक़ई आग है, लेकिन इस वक्त बेहिसी की वजह से आग मालूम नहीं हो रही है। इसलिये जितने गुनाह हमारे चारों तरफ़ फैले हुये हैं, वे हकीकत में आग हैं, हकीकत में दोज़ख के अंगारे हैं। लेकिन हमें अपनी बेहिसी की वजह से नज़र नहीं आते।

## अल्लाह वालों को गुनाह नज़र आते हैं

अल्लाह तआला जिन लोगों को बातिनी रोशनी अता फ़रमाते हैं, उन्हें इनकी हकीकत नज़र आती है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में सही और मोतबर रिवायतों में है कि जिस वक्त कोई आदमी वुजू कर रहा होता, या गुस्ल कर रहा होता तो आप उसके बहते हुये पानी में गुनाहों की शक्लें देख लेते थे कि ये फ़लां फ़लां गुनाह बहते हुये जा रहे हैं।

एक बुजुर्ग थे जब वह अपने घर से बाहर निकलते तो चेहरे पर कपड़ा डाल लेते थे। किसी शख्स ने उन बुजुर्ग से

पूछा कि हज़रत! आप जब भी बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर कपड़ा डाल कर निकलते हैं इसकी क्या वजह है? उन बुजुर्ग ने जवाब में फ़रमाया कि मैं कपड़ा उठा कर बाहर निकलने पर क़ादिर नहीं, इसलिये कि जब मैं बाहर निकलता हूं तो किसी इन्सान की शक्ल नज़र नहीं आती, बल्कि ऐसा नज़र आता है कि कोई कुत्ता है कोई सुअर है, कोई भेड़िया है, कोई गधा है, और मुझे इन्सानों की शक्लें इन सूरतों में नज़र नहीं आती हैं। इसकी वजह यह है कि गुनाह इन शक्लों की सूरत इस्तियार करके सामने आ जाते हैं। बहर हाल! चूंकि इन गुनाहों की हकीकत हम पर ज़ाहिर नहीं है, इसलिये हम इन गुनाहों को लज्ज़त और राहत का ज़रिया समझते हैं। लेकिन हकीकत में वह गन्दगी है, हकीकत में वह नजासत (नापाकी) है, हकीकत में वह आग है, हकीकत में वह जुल्मत है।

### यह दुनिया गुनाहों की आग से भरी हुई है

हज़रत वालिद साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाया करते थे कि यह दुनिया जो गुनाहों की आग से भरी हुयी है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी कमरे में गैस भर गयी हो, अब वह गैस हकीकत में आग है, सिर्फ़ दिया सलाई लगाने की देर है, एक दिया सलाई दिखाओगे तो पूरा कमरा आग से दहक जायेगा, इसी तरह ये बद आमालियां, ये गुनाह जो मुआशरे के अन्दर फैले हुये हैं, हकीकत में आग हैं, सिर्फ़ एक सूर फूंकने की देर है, जब सूर फूंका जायेगा तो यह मुआशरा आग से दहक जायेगा, हमारे ये बुरे आमाल भी हकीकत में जहन्नम है, इनसे अपने आपको भी बचाओ, और अपने अहल व

अयाल (घर वालों) को भी बचाओ।

## पहले खुद नमाज़ की पाबन्दी करो

अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अलैहि ने दूसरी आयत यह बयान फ़रमाई है कि:

(١٣٣:٤٦) “وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا”

यानी अपने घर वालों को नमाज़ का हुक्म दो, और खुद भी इस नमाज़ की पाबन्दी करो, इस आयत में अल्लाह तआला ने अजीब तरतीब रखी है, बज़हिर यह होना चाहिये था कि पहले खुद नमाज़ कायम करो और फिर अपने घर वालों को नमाज़ का हुक्म दो, लेकिन यहां तरतीब उलट दी है कि पहले अपने घर वालों को नमाज़ का हुक्म दो, और फिर खुद भी इसकी पाबन्दी करो, इस तरतीब में इस बात की तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि तुम्हारा अपने घर वालों को या औलाद को नमाज़ का हुक्म देना उस वक्त तक असरदार और फ़ायदेमन्द नहीं होगा, जब तक तुम उनसे ज्यादा पाबन्दी नहीं करोगे, अब जबान से तो तुमने उनको कह दिया कि नमाज़ पढ़ो लेकिन खुद अपने अन्दर नमाज़ की पाबन्दी नहीं है, तो इस सूरत में उनको नमोज़ के लिये कहना बिल्कुल बेकार जायेगा; इसलिये अपने घर वालों को नमाज़ का हुक्म देने का एक लाज़मी हिस्सा यह है कि उनसे ज्यादा पाबन्दी खुद करो, और उनके लिये एक मिसाल और नमूना बनो।

## बच्चों के साथ झूठ मत बोलो

हदीस शरीफ़ में है कि हुँज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने एक औरत ने अपने बच्चे को गोद में लेने के

लिये बुलाया, बच्चा आने में तरदूद कर रहा था, तो उस औरत ने कहा! तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें कुछ चीज़ देंगे। अब वह बच्चा आ गया, आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस औरत से पूछा कि तुमने बच्चे को यह जो कहा कि हमारे पास आओ हम तुम्हें कुछ चीज़ देंगे, तो क्या तुम्हारी वाक़अी कुछ देने की नियत थी? उस औरत ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह! मेरे पास एक खजूर थी और यह खजूर इसको देने की नियत थी। आपने फ़रमाया कि अगर देने की नियत न होती तो यह तुम्हारी तरफ़ से बहुत बड़ा झूठ होता, और गुनाह होता। इसलिये कि तुम बच्चे से झूठा वादा कर रही हो, गोया उसके दिल में बचपन से यह बात डाल रही हो कि झूठ बोलना और वादा खिलाफ़ी करना कोई ऐसी बुरी बात नहीं होती। इसलिये इस आयत में इस बात की तरफ़ इशारा फ़रमाया कि बीवी बच्चों को जो भी हुक्म दो पहले खुद उस पर अमल करो, और उसकी पाबन्दी दूसरों से ज्यादा करो।

### बच्चों को तरबियत देने का अन्दाज़

आगे अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अलैहि हदीसें लाये हैं।

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَخْذَ الْحَسْنَ بْنَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمَرَّةً مِنْ تَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْ كُنْ، ارْمُ بِهَا، إِمَّا عَلِمْتَ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ“

(جامع الاصول)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साहिबजादे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जबकि अभी बच्चे थे। एक

मर्तबा सदके की खजूरों में से एक खजूर उठा कर अपने मुँह में रख ली, जब हुँजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देखा तो फौरन फ़रमाया: “कख़ कख़” अर्बी में यह लफ़ज़ ऐसा है जैसे हमारी ज़बान में “थू थू” कहते हैं, यानी अगर बच्चा कोई चीज़ मुँह में डाल ले, और उसकी बुराई के इज़हार के साथ वह चीज़ उसके मुँह से निकलवाना मक्सूद हो तो यह लफ़ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बहर हाल! हुँजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि “कख़ कख़” यानी उसको मुँह से निकाल कर फेंक दो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम यानी हाशिम की औलाद सदके का माल नहीं खाते।

हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु हुँजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नवासे हैं। और ऐसे महबूब नवासे हैं कि एक मर्तबा हुँजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिदे नबवी में खुतबा दे रहे थे, उस वक्त हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में दाखिल हो गये। तो हुँजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिंबर से उतरे, और आगे बढ़ कर उनको गोद में उठा लिया। और बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता कि हुँजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं और यह हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आपके कन्धे पर सवार हो गये और जब आप सज्दे में जाने लगे तो आपने उनको एक हाथ से पकड़ कर नीचे उतार दिया, और कभी ऐसा भी होता कि आप उनको गोद में लेते और फ़रमाते कि:

“مَبْخَلَةٌ وَمَجْبَنَةٌ”

यानी यह औलाद ऐसी है कि इन्सान को बख़ील भी बना

देती है, और बुज्जिदल (डरपोक) भी बना देती है। इसलिये कि इन्सान औलाद की वजह से कभी कभी बख़ील बन जाता है, और कभी कभी बुज्जिदल बन जाता है। एक तरफ तो हुज़रे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से इतनी मुहब्बत है, दूसरी तरफ जब उन्होंने नादानी में एक खजूर भी मुंह में रख ली तो आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह गवारा न हुआ कि वह उस खजूर को खायें। मगर चूंकि उनको पहले से इस चीज़ की तरबियत देनी थी, इसलिये फौरन वह खजूर मुंह से निकलवाई, और फरमाया कि यह हमारे खाने की चीज़ नहीं है।

### बच्चों से मुहब्बत की हद

इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि बच्चे की तरबियत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है। इसी से उसका ज़ेहन बनता है, इसी से उसकी ज़िन्दगी बनती है। यह हुज़रे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत है। आज कल यह अजीब मन्ज़र देखने में आता है कि मां बाप के अन्दर बच्चों को ग़लत बातों पर टोकने का रिवाज ही ख़त्म हो गया है। आज से पहले भी मां बाप बच्चों से मुहब्बत करते थे, लेकिन वे अक़ल और तदबीर के साथ मुहब्बत करते थे। लेकिन आज यह मुहब्बत और लाड इस दर्जा तक पहुंच चुका है कि बच्चे कितने ही ग़लत काम करते रहें, ग़लत हक्कतें करते रहें, लेकिन मां बाप उन ग़लतियों पर टोकते ही नहीं, मां बाप यह समझते हैं कि ये नादान बच्चे हैं इनको हर किरम की छूट है, इनकी रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं। अरे भाई! यह सोचो

कि अगर वै बच्चे नादान हैं मगर तुम तो नादान नहीं हो तुम्हारा फर्ज़ है कि उनको तरबियत दो, अगर कोई बच्चा अदब के खिलाफ़, तमीज़ के खिलाफ़ या शरीअत के खिलाफ़ कोइ गलत काम कर रहा है तो उसको बताना मां बाप के जिम्मे फर्ज़ है, इसलिये कि वह बच्चा इसी तरह बद तमीज़ बन कर बड़ा हो गया तो उसका बबाल तुम्हारे ऊपर है कि तुमने उसको शुरू से इसकी आदत नहीं डाली। बहर हाल! इस हदीस को यहां लाने का मक्सद यह है कि बच्चों की छोटी छोटी हरकतों को भी निगाह में रखो।

### हज़रत शैखुल हदीस रह० का एक वाकिआ

शैखुल हदीस हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करिया साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि ने "आप बीती" में अपना एक किस्सा लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मां बाप ने मेरे लिये एक छोटा सा खूबसूरत तकिया बना दिया था, जैसा कि आम तौर पर बच्चों के लिये बनाया जाता है, मुझे उस तकिये से बहुत मुहब्बत थी, और हर वक्त मैं उसको अपने साथ रखता था। एक दिन मेरे वालिद साहिब लेटना चाह रहे थे, उनको तकिये की ज़रूरत पेश आयी तो मैंने वालिद साहिब से कहा कि: अब्बा जी! मेरा तकिया ले लीजिये, यह कह कर मैंने अपना तकिया उनको इस तरह पेश किया जिस तरह कि मैंने अपना दिल निकाल कर बाप को दे दिया, लेकिन जिस वक्त वह तकिया मैंने उकनो पेश किया, उसी वक्त वालिद साहिब ने मुझे एक चपत रसीद किया और कहा कि अभी से तू इस तकिये को अपना तकिया कहता है, मक्सद यह था कि तकिया

तो हकीकत में बाप की अता (देन) है, इसलिये इसको अपनी तरफ मंसूब करना या अपना करार देना ग़लत है। हज़रत शैखुल हदीस रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि उस वक्त तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने अपना दिल निकाल कर बाप को दे दिया था, इसके जवाब में बाप ने एक चपत लगा दिया, लेकिन आज समझ में आया कि कितनी बारीक बात पर उस वक्त वालिद साहिब ने तबीह फरमाई थी। और उसके बाद ज़ेहन का रुख बदल गया। इस किस्म की छोटी छोटी बातों पर मां बाप को नज़र रखनी पड़ती है, तब जाकर बच्चे की तरबियत सही होती है, और बच्चा सही तौर पर उभर कर सामने आता है।

### खाना खाने का एक अद्वा

"عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَمْرِبْنِ أَبِي سَلْمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسْدِ رَبِيبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ غَلَامًا فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غَلَامُ سَمِّ اللَّهِ، وَكُلْ بِيمِينِكَ، وَكُلْ مَا يَلِيكَ، فَمَا زَالْتَ تَلِكَ طَعْمَتِي بَعْدَ." (جامع الاصول)

हज़रत उमर बिन अबू सलमा रजियल्लाहु अन्हु आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सौतेले बेटे हैं। हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हैं, उनके पिछले शौहर से यह साहिबजादे पैदा हुए थे। जब हुज़रे अक्दस सल्लल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया तो यह उनके साथ ही हुज़रे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आये थे,

इसलिये यह हुँजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रबीब यानी सौतेले बेटे थे, आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इनसे बड़ी मुहब्बत व शफ़क़त फ़र्माया करते थे, और इनके साथ बड़ी बे-तकल्लुफ़ी की बातें किया करते थे। वह फ़रमाते हैं कि जिस वक्त मैं छोटा बच्चा था और हुँजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्रवरिश में था, एक दिन खाना खाते हुए मेरा हाथ प्याले में इधर से उधर हर्कत कर रहा था, यानी कभी एक तरफ़ से लुक्मा उठाया कभी दूसरी तरफ़ से लुक्मा उठाया और कभी तीसरी तरफ़ से लुक्मा उठाया। जब हुँजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे इस तरह करते हुए देखा तो फ़रमाया ऐ लड़के! खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाहिने हाथ से खाओ, और बर्तन का जो हिस्सा तुम्हारे सामने है वहां से खाओ, इधर उधर से हाथ बढ़ा कर खाना ठीक नहीं है, आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस तरह की छोटी छोटी बातों को देख कर उस पर तंबीह फ़रमाते और सही अदब सिखाते।

### ये इस्लामी आदाब हैं

एक और सहाबी हज़रत अकराश बिन ज़ुवैब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, कि मैं एक मर्तबा हुँजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जब खाना सामने आया तो मैंने यह हर्कत शुरू की कि एक निवाला इधर से लिया, और दूसरा निवाला उधर से ले लिया। और इस तरह बर्तन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से खाना शुरू कर दिया। आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरा हाथ पकड़ कर

फरमाया ऐ अकराश! एक जगह से खाओ, इसलिये कि खाना एक जैसा है, इधर उधर से खाने से बद तहजीबी भी मालूम होती है, और बद सलीकी ज़ाहिर होती है। इसलिये एक जगह से खाओ, हज़रत अकराश फरमाते हैं कि मैंने एक जगह से खाना शुरू कर दिया। जब खाने से फ़ारिग़ हुए तो एक बड़ा थाल लाया गया जिस में मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें बिखरी हुयी थीं। जैसे मशहूर है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। चूंकि हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुझ से फरमा चुके थे कि एक जगह से खाओ, इसलिये मैंने वे खजूरें एक जगह से खानी शुरू कर दीं। और आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कभी एक तरफ़ से खजूर उठाते कभी दूसरी तरफ़ से उठाते, और मुझे जब एक तरफ़ से खाते हुए देखा तो आपने फरमाया कि ऐ अकराश! तुम जहां से चाहो खाओ, इसलिये कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें हैं। अब अगर एक तरफ़ से खाते रहे, फिर दिल तुम्हारा दूसरी किस्म की खजूर खाने को चाह रहा है तो हाथ बढ़ा कर वहां से खजूर उठा कर खालो। (मिश्कात शरीफ़)

गोया कि इस हडीस में हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह अदब सिखाया कि अगर एक ही किस्म की चीज़ है तो फिर सिफ़ अपनी तरफ़ से खाओ, और अगर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं तो दूसरी तरफ़ से भी खा सकते हो। अपनी औलाद और अपने सहाबा की इन छोटी छोटी बातों पर हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की निगाह थी। ये सारे आदाब खुद भी सीखने के हैं और अपने घर वालों को भी

सिखाने के हैं, ये इस्लामी आदाब हैं जिन से इस्लामी मुआशा  
मुस्ताज़ होता है।

عَنْ عُمَرِ بْنِ شَعْبَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرُوا أَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرَ، وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

(جامع الاصول)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी—ए—करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को नमाज़ का हुक्म दो जब वे सात साल के हो जायें, यानी सात साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ने की ताकीद करना शुरू करो, अगर वे उसके जिम्मे नमाज़ फर्ज़ नहीं हुयी, लेकिन उसको आदी बनाने के लिये सात साल की उमर से ताकीद करना शुरू कर दो, और जब दस साल की उमर हो जाये, और फिर भी नमाज़ न पढ़े तो उसको नमाज़ न पढ़ने पर मारो, और दस साल की उमर में बच्चों के बिस्तर अलग अलग कर दो, एक बिस्तर में दो बच्चों को न सुलाओ।

### सात साल से पहले तालीम

इस हडीस में पहला हुक्म यह दिया कि सात साल की उमर से नमाज़ की ताकीद शुरू कर दो, इससे मालूम हुआ कि सात साल से पहले उसको किसी चीज़ का मुकल्लफ करना मुनासिब नहीं। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इस हडीस से यह बात मालूम होती है कि जब तक बच्चे की उमर सात साल

तक न पहुंच जाये, उस पर कोई बोझ न डालना चाहिये, जैसे कि बाज़ लोग सात साल से पहले रोज़े रखवाने की फ़िक्र शुरू कर देते हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि इसके बहुत मुख्यालिफ़ थे, हज़रत फ़रमाया करते थे कि अल्लाह मियां तो सात साल से पहले नमाज़ पढ़ाने को नहीं कह रहे हैं, मगर तुम सात साल से पहले उसको रोज़े रखवाने की फ़िक्र में हो, यही ठीक नहीं। इसी तरह सात साल से पहले नमाज़ की ताकीद की कोशिश भी दुरुस्त नहीं। इसी लिये कहा गया है कि सात साल से कम उमर के बच्चे को मस्जिद में लाना ठीक नहीं। लेकिन कभी कभार उसको इस शर्त के साथ मस्जिद में ला सकते हैं कि वह मस्जिद को गन्दगी वगैरह से गन्दा नहीं करेगा। ताकि वह थोड़ा थोड़ा मानूस हो जाये। लेकिन सात साल से पहले उस पर बाकायदा बोझ डालना दुरुस्त नहीं।

### घर की तालीम दे दो

बल्कि हमारे बुजुर्ग फ़रमाते हैं कि सात साल से पहले तालीम का बोझ डालना भी मुनासिब नहीं। सात साल से पहले खेल कूद के अन्दर उसको पढ़ा दो, लेकिन बाकायदा उस पर तालीम का बोझ डालना और बाकायदा उसको तालिबे इल्म बना देना ठीक नहीं। आज कल हमारे यहां यह वबा है कि बच्चा तीन साल का हुआ तो उसको पढ़ाने की फ़िक्र शुरू हो गयी, यह ग़लत है। सही तरीका यह है कि जब वह तीन साल का हो जाये तो उसको घर की तालीम दे दो। उसको अल्लाह व रसूल का कलिमा सिखा दो, उसको कुछ दीन की बातें समझा दो, और यह काम घर में रख कर जितना कर सकते

हो, कर लो। उसको मुकल्लफ़ करके बाक़ायदा नर्सरी में भेजना  
और नियमित तालिब इल्म बना देना दुरुस्त नहीं।

### कारी फ़तह मुहम्मद सहिब रहमतुल्लाहि अलैहि

हमारे बुजुर्ग हज़रत मौलाना कारी फतह मुहम्मद साहिब  
रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह तआला उनके दरजात बुलन्द  
फ़रमाये, आमीन। कुरआने करीम का ज़िन्दा मोजिज़ा थे, जिन  
लोगों ने उनकी ज़ियारत की है उनको मालूम होगा कि सारी  
ज़िन्दगी कुरआने करीम के अन्दर गुज़ारी, और हदीस में जो  
यह दुआ आती है कि या अल्लाह! कुरआने करीम को मेरी रग  
में शामिल कर दीजिये। मेरे ख़ून में शामिल कर दीजिये, मेरे  
जिस्म में जमा दीजिये, मेरी रुह में जमा दीजिये। ऐसा मालुम  
होता है कि हदीस की यह दुआ उनके हक़ में पूरी तरह कुबूल  
हो गयी कि कुरआने करीम उनके रग व पै में शामिल था।

कारी साहिब कुरआन की तालीम के मामले में बड़े सख्त  
थे, जब कोई बच्चा उनके पास आता तो उसको बहुत  
एहितमाम के साथ पढ़ाते थे, और उसको पढ़ने की बहुत  
ताकीद करते थे, लेकिन साथ साथ यह भी फ़रमाते थे कि जब  
तक बच्चे की उम्र सात साल न हो जाये, उस वक्त तक उस  
पर तालीम का बाक़ायदा बोझ डालना दुरुस्त नहीं, इसलिये कि  
इससे उसकी बढ़ोतारी और फूलना फलना रुक जाता है, और  
इसी ऊपर ज़िक्र हुई हदीस से इस्तिदलाल फ़रमाते थे कि  
हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बच्चों को नमाज़  
का हुक्म देने के लिये सात साल उम्र की कैद लगायी है।

जब बच्चा सात साल का हो जाये तो फिर रफ़ता रफ़ता

उस पर तालीम का बोझ डाला जाये। यहां तक कि जब बच्चा दस साल का हो जाये तो उस वक्त आपने न सिर्फ़ तादीबन (अदब सिखाने और सज़ा देने के लिये) मारने की इजाज़त दी बल्कि मारने का हुक्म दिया, कि अब अगर वह नमाज़ न पढ़े तो उसको मारो।

### बच्चों को मारने की हद

यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि उस्ताद के लिये या मां बाप के लिये बच्चे को इस हद तक मारना जायज़ है जिस से बच्चे के जिस्म पर मार का निशान न पड़े। आज कल यह जो बेहिसाब मारने की रीत है यह किसी तरह भी जायज़ नहीं। जैसा कि हमारे यहां कुरआने करीम के मक्तबों में मार पिटाई का रिवाज है। और कभी कभी उस मार पिटाई में खून निकल आता है, ज़ख्म हो जाता है, या निशान पड़ जाता है, यह अमल इतना बड़ा गुनाह है कि हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस गुनाह की माफ़ी की क्या शक्ल होगी? इसलिये कि इस गुनाह की माफ़ी किस से मांगे? अगर उस बच्चे से माफ़ी मांगे तो वह ना-बालिग़ बच्चा माफ़ करने का अहल नहीं है, इसलिये कि अगर ना-बालिग़ बच्चा माफ़ भी कर दे तो भी शर्अन उसकी माफ़ी का एतिबार नहीं, इसलिये हज़रते वाला फरमाया करते थे कि उसकी माफ़ी का कोई रास्ता समझ में नहीं आता, इतना ख़तरनाक गुनाह है। इसलिये उस्ताद और मां बाप को चाहिये कि वे बच्चे को इस तरह न मारें कि उससे ज़ख्म हो जाये या निशान पड़ जाये, लेकिन ज़रूरत के तहत

जहां मारना लाज़मी हो जाये, सिफ़ उस वक्त मारने की इजाज़त दी गयी है।

### बच्चों को मारने का तरीका

इसलिये हकींमुल उम्मत हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक अजीब नुस्खा बताया है, और ऐसा नुस्खा वही बता सकते थे, याद रखने का है। फ़रमाते थे कि जब कभी औलाद को मारने की ज़रूरत महसूस हो, या उस पर गुस्सा करने की ज़रूरत महसूस हो तो जिस वक्त गुस्सा आ रहा हो उस वक्त न मारो, बिल्कु गुस्सा ठन्डा हो जाये तो उस वक्त बनावटी गुस्सा पैदा करके मार लो, इसलिये कि जिस वक्त तबई गुस्से के वक्त अगर मारोगे या गुस्सा करोगे तो फिर हृद पर कायम नहीं रहोगे, बिल्कु हृद से बढ़ जाओगे, और चूंकि ज़रूरत से मारना है, इसलिये बनावटी गुस्सा पैदा करके मार लो, ताकि असल मक्सद भी हासिल हो जाये, और हृद से गुज़रना भी न पड़े।

और फ़रमाया करते थे कि मैंने सारी उमर इस पर अमल किया कि तबई गुस्से के वक्त न किसी को मारा और न डांटा, फिर जब गुस्सा ठन्डा हो जाता तो उसको बुला कर बनावटी किस्म का गुस्सा पैदा करके वह मक्सद हासिल कर लेता। ताकि हदों से बढ़ना न हो जाये। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें इन्सान अक्सर व बेश्तर हृद पर कायम नहीं रहता।

### बच्चों को तरबियत देने का तरीका

इसी लिये हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि एक उसूल

बयान फ़रमाया करते थे। जो अगरचे कुल्ली उसूल तो नहीं है, इसलिये कि हालात अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर व बेश्तर इस उसूल पर अमल किया जा सकता है कि जिस वक्त कोई शख्स ग़लत काम कर रहा हो, ठीक उस वक्त में उसको सज़ा देना मुनासिब नहीं होता, बल्कि वक्त पर टोकने से कभी कभी नुक्सान होता है, इसलिये बाद में उसको समझा दो, या सज़ा देनी हो तो सज़ा दे दो। दूसरे यह कि हर हर काम पर बार बार टोकते रहना ठीक नहीं होता। बल्कि एक मर्तबा बिठा कर समझा दो कि फ़लां वक्त तुमने यह ग़लत काम किया, फ़लां वक्त यह ग़लत काम किया और फिर एक मर्तबा जो सज़ा देनी है दे दो। वाकिआ यह है कि गुस्सा हर इन्सान की फ़ित्रत में दाखिल है, और यह ऐसा जज्बा है कि जब एक मर्तबा शुरू हो जाये तो कभी कभी इन्सान इसमें बेकाबू हो जाता है और फिर हदों पर कायम रहना मुम्किन नहीं रहता, इसलिये इसका बेहतरीन इलाज वही है, जो हमारे हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तज़्वीज़ फ़रमाया। बहर हाल! इससे मालूम हुआ कि अगर ज़रूरत महसूस हो तो कभी कभी मारना चाहिये, आज कल इसमें कमी ज़्यादती है। अगर मारेंगे तो हद से गुज़र जायेंगे, या फिर बिल्कुल मारना छोड़ दिया है, और यह समझते हैं कि बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिये, ये दोनों बातें ग़लत हैं वह ज़्यादती है, और यह कमी है, एतिदाल (दरमियान) का अकेला रास्ता वह है जो नबी—ए—करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान फ़रमा दिया।

## तुम में से हर शख्स निगरां है

आखिर में वही हदीस लाये हैं जो पीछे कई मर्तबा आ चुकी है।

”وعن ابن عمر رضي الله عنهمَا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلْمَ راعٍ وَ كُلْمَ مسْئُولٍ عَنْ رِعْيَتِهِ، الامام راعٍ وَ مسْئُولٍ عَنْ رِعْيَتِهِ، والرجل راعٍ فِي أهْلِهِ وَ مسْئُولٍ عَنْ رِعْيَتِهِ، والمرأة راعية فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مسْئُولَةٌ عَنْ رِعْيَتِهَا، والخادم راعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَ مسْئُولٍ عَنْ رِعْيَتِهِ“

(جامع الاصول)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि मैंने हुँजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना फ़रमाते हैं कि तुम में से हर शख्स राई है, निगहबान है, ज़िम्मेदार है, और हर शख्स से कियामत के दिन उसकी ज़िम्मेदारी और निगहबानी के बारे में सवाल होगा। इमाम यानी हाकिम ज़िम्मेदार है, और उससे उसकी रज़िय्यत के बारे में आखिरत में सवाल होगा कि तुमने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? उनकी कैसी तरबियत की? और उनके हुकूक का कितना ख्याल रखा? और मर्द अपने घर वालों का, बीवी बच्चों का निगरां और निगहबान है, कियामत के दिन उससे सवाल होगा कि बीवी बच्चे जो तुम्हारे सुपुर्द किये गये थे उनकी कैसी तरबियत की, उनके हुकूक किस तरह अदा किये? औरत अपने शौहर के घर की निगहबान है, जो चीज़ उसकी निगहबानी में दी गयी है उसके बारे में उससे कियामत के दिन सवाल होगा कि तुमने उसकी किस तरह निगहबानी की? और नौकर अपने

आका के माल में निगहबान है, यानी अगर आका ने पैसे दिये हैं तो वे पैसे उसके लिये अमानत है वह उसका ज़िम्मेदार है, और आखिरत के दिन उससे उसके बारे में सवाल होगा कि तुमने उस अमानत का हक़ किस तरह अदा किया?

इसलिये तुम में से हर शख्स किसी न किसी हैसियत से राखी है और जिस चीज़ की निगहबानी उसके सुपुर्द की गयी है, कियामत के दिन उससे उसके बारे में सवाल होगा।

### अपने मातहतों की फ़िक्र करें

इस हडीस को आखिर में लाने की मन्त्रा यह है कि बात सिफ़ बाप और औलाद की हद तक महदूद नहीं, बल्कि ज़िन्दगी के जितने शोबे हैं, उन सब में इन्सान के मातहत कुछ लोग होते हैं, जैसे घर के अन्दर उसके मातहत बीवी बच्चे हैं, दफ़तर में उसके मातहत कुछ अफ़राद काम करते होंगे, अगर कोई दुकानदार है, तो उस दुकान में उसके मातहत कोई आदमी काम करता होगा, अगर किसी शख्स ने फैकट्री लगायी है, तो उस फैकट्री में उसके मातहत कुछ स्टाफ़ काम करता होगा, ये सब उसके मातहत और ताबे हैं इसलिये इन सब को दीन की बात पहुंचाना और उनको दीन की तरफ़ लाने की कोशिश करना इन्सान के ज़िम्मे ज़रूरी है। यह न समझे कि मैं अपनी ज़ात या अपने घर की हद तक ज़िम्मेदार हूँ बल्कि जो लोग तुम्हारे हाथ के नीचे और मातहत हैं, उनको जब तुम दीन की बात बताओगे तो तुम्हारी बात का बहुत ज़्यादा असर होगा, और उस असर को वे लोग कुबूल करेंगे। और अगर तुमने उनको दीन की बात नहीं बताई तो इसमें तुम्हारा कुसूर है।

और अगर वे दीन पर अःमल नहीं कर रहे हैं तो इसमें तुम्हारा कुसूर है कि तुमने उनको दीन की तरफ मुतवज्जह नहीं किया। इसलिये जहां कहीं जिस शख्स के मातहत कुछ लोग काम करने वाले मौजूद हैं उन तक दीन की बातें पहुंचाने की फ़िक्र करें।

### सिर्फ़ दस मिनट निकाल लें

इसमें शक नहीं कि आज कल ज़िन्दगियां मररुफ़ हो गयी हैं, वक्त महदूद हो गये हैं, लेकिन हर शख्स इतना तो कर सकता है कि चौबीस घन्टे में से पांच दस मिनट रोज़ाना इस काम के लिये निकाल ले कि अपने मातहतों को दीन की बात सुनायेगा। जैसे कोई किताब पढ़ कर सुना दे, कोई वाज़ (तक्रीर) पढ़ कर सुना दे, एक हडीस का तर्जुमा सुना दे, जिसके ज़रिये दीन की बात उनके कान में पड़ती रहे। यह काम तो हर शख्स कर सकता है, अगर हर शख्स इस काम की पाबन्दी कर ले तो इन्शा—अल्लाह इस हडीस पर अःमल करने की सआदत हासिल हो जायेगी। अल्लाह तआला मुज्जे भी और आप सब को भी इस पर अःमल करने की तौफ़ीक अःता फ़रमाये, आमीन।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين